भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या : 166
उत्तर देने की तारीख: 29.11.2021

सुलभ शिक्षा

†166. श्री ई.टी. मोहम्मद बशीरः

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) क्या सरकार ने इस ओर ध्यान दिया है कि विशेषकर उच्च शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा की लागत बहुत अधिक है जिसे वहन करने में आम छात्र असमर्थ हैं;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) उच्च शिक्षा को सुलभ और वहनीय बनाने तथा आर्थिक रूप से पिछड़े छात्रों को शिक्षा के लिए सहायता प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का विचार है?

उत्तर
शिक्षा मंत्री
(श्री धर्मेंद्र प्रधान)

(क) से (ग): शिक्षा को अधिक किफायती बनाने और इसके व्यावसायीकरण को रोकने के लिए सरकार निरंतर प्रयासरत है। इस संबंध में, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) ने कार्यक्रम (मों) के लिए अधिकतम ट्यूशन और विकास शुल्क के लिए राष्ट्रीय फीस समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है और सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों से इन सिफारिशों का पालन करने का अनुरोध किया है। इन सिफारिशों को एआईसीटीई की अप्रूवल प्रोसेस हैंडबुक में भी शामिल किया गया है।

छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए, शिक्षा मंत्रालय कॉलेजों और विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए केंद्रीय क्षेत्र छात्रवृत्ति योजना (सीएसएसएस), जम्मू और कश्मीर के लिए विशेष छात्रवृत्ति योजना (जम्मू और कश्मीर के लिए एसएसएस), और शिक्षा ऋण पर ब्याज छूट देने की केंद्रीय योजना (सीएसआईएस) नामक योजनाओं को लागू कर रहा है। एआईसीटीई कई छात्रवृत्ति योजनाओं जैसे स्नातकोत्तर (पीजी) छात्रवृत्ति, दिव्यांग छात्रों के लिए सक्षम छात्रवृत्ति योजना, छात्राओं के लिए प्रगति छात्रवृत्ति योजना, एआईसीटीई डॉक्टरल फेलोशिप (एडीएफ), आदि को भी लागू कर रहा है। इसके अलावा, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) विभिन्न योजनाओं जैसे कि "ईशान उदय" पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए विशेष छात्रवृत्ति योजना, यूनिवर्सिटी रैंक होल्डर्स के लिए पीजी छात्रवृत्ति, विज्ञान, मानविकी और सामाजिक विज्ञान में जूनियर रिसर्च फेलोशिप, बीएसआर फेलोशिप और एमेरिटस फेलोशिप आदि योजनाओं के तहत छात्रवृत्ति भी प्रदान करता है।

****